बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – जै0प्रो0कों0 (योजना)–62/2018 1382 /कृ0, पटना दिनांक 9/3/ ,2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत राज्य स्कीम मद से पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई, गोबर गैस, व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट/जैव उर्वरक उत्पादन इकाई, हरी खाद अन्तर्गत ढ़ैंचा बीज वितरण तथा बीजोपचार कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1463.87 लाख (चौदह करोड़ तीरसठ लाख सतासी हजार) रूपये की योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत राज्य स्कीम मद से पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई, गोबर गैस, व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट/जैव उर्वरक उत्पादन इकाई, हरी खाद अन्तर्गत ढ़ैंचा बीज वितरण तथा बीजोपचार कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1463.87 लाख (चौदह करोड़ तीरसठ लाख सतासी हजार) रूपये की योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोड मैप में जैविक खेती के आयामों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 38 जिलों में योजना कार्यान्वित की जायेगी। वित्तीय वर्ष, 2018–19 के लिए कार्यक्रमवार स्वीकृत भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार है:–

कार्यक्रम का विवरण	इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण (सं0 में)	15830
गोबर गैस (सं0 में)	76
व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट (सं0 में)	20
व्यावसायिक जैव उर्वरक (सं0 में)	1
हरी खाद अन्तर्गत ढ़ैंचा बीज वितरण (हे0 में)	30500
बीजोपचार सामग्री (हे0 में)	100000

3. योजना में शामिल कार्यमदों एवं देय अनुदान राशि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

- **पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई:–** वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी में पोषक तत्वों की समेकित रूप से उपलब्धता तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को 75 घन फीट क्षमता के स्थायी उत्पादन इकाई (पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई)

Target 15-16-SWS

पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देय होगा। एक किसान को अधिक से अधिक 05 इकाई के निर्माण के लिए अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

- **गोबर गैसः**— इसके प्रोत्साहन के लिए किसानों को अनुदान राशि दी जायेगी। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 02 एवं 03 घनमीटर के संयंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। 02 घनमीटर क्षमता पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 21,000 रू0 एवं 03 घनमीटर क्षमता पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25,000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देय होगा। संयंत्र की स्थापना के लिए टर्न–की राशि सर्विस प्रोवाईडर को 1,500 रूपये प्रति इकाई पूर्व की तरह सहायता देने का प्रावधान है। इस राशि का भुगतान किसानों के संयंत्र स्थापना के पश्चात् दिये गये संतुष्टि पत्र के आधार पर किया जायेगा। गोबर गैस इकाई के लिए देय अनुदान की राशि किसानों के खाते में स्थानान्तरण के पश्चात् ही सर्विस प्रोवाईडर को टर्न–की की राशि भुगतेय होगी।
- **व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाईः**— व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी / सरकारी प्रतिष्ठानों / सरकारी नियंत्रण में चल रहे निबंधित गौशालाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु निजी उद्यमी / कृषि कार्य से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं को प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.40, 12.80 एवं 20.00 लाख रूपये क्रमशः अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जो दो किस्तों में देय होगा। प्रथम अनुदान राशि उत्पादन क्षमता का कम–से–कम 50 प्रतिशत उत्पादन करने के उपरांत देय होगा अर्थात् कुल अनुदान राशि का प्रथम वार में 50 प्रतिशत राशि देय होगा तथा शेष अनुदान राशि लगातार कार्य करने के उपरांत 5 वर्ष पूर्ण होने एवं पूर्ण उत्पादन क्षमता पर देय होगा। दिनांक–05.12.2013 के पूर्व से स्वीकृत प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 08.00, 16.00 एवं 25.00 लाख रूपये क्रमशः अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
- **व्यवसायिक जैव उर्वरकः**— पोषक तत्वों को जमीन में स्थिर करने तथा इसे पौधों को उपलब्ध कराने में उपयोगी है। व्यवसायिक जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु अनुदान दर की स्वीकृति दी गई है। व्यावसायिक जैव उर्वरक इकाई में उद्यमी / कृषि कार्य से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं को प्रतिवर्ष 600 मे0 टन उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 64 लाख रूपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जो तीन किस्तों में देय होगा। पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष 600 मे0 टन उत्पादन क्षमता का व्यवसायिक जैव उर्वरक इकाई के लिए लागत मूल्य का शत्–प्रतिशत अधिकतम 160 लाख रूपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
- **हरी चादर अन्तर्गत ढ़ैंचा बीज वितरणः**— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि में जीवाश्म एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने हेतु ढ़ैंचा की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन गरमा, 2018 (अप्रील–मई) में किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में ढ़ैंचा बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। अनुदान की राशि बीज राज्य बीज निगम को भुगतान किया जाना है। वर्ष 2018–19 ढ़ैचा बीज वितरण का जिलावार भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि **अनुसूची–03** के रूप में संलग्न है। हरी चादर योजनान्तर्गत अनुदान की राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा बिहार राज्य बीज निगम से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी तथा उसे बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता संख्या 271 मे आंतरित की जायेगी।

- **बीजोपचार हेतु जैविक उपादानः–** उन्नतशील प्रभेदों के लिए प्रत्येक तीन साल में बीज बदलने की सलाह किसानों को दी जाती है। अगले दो मौसम में उसी बीज को लगाने की सलाह किसानों को दी जाती है। उन बीजों तथा किसानों द्वारा प्रयुक्त स्वयं के बीज को उपचारित करने हेतु जैविक उपादान के माध्यम से बीज टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। यह अभियान धान, गेंहूँ एवं दलहन के टाल क्षेत्र में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा। किसानों को बीजोपचार करने पर बीज की मात्रा के अनुरूप अधिकतम 100 रूपये प्रति हे0 अनुदान देय होगा, जो प्रति किसान अधिकतम 02 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगा। टाल क्षेत्र के किसान को अधिकतम 05 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देय होगा।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ लेने हेतु ईच्छुक किसान द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन तथा वांछित कागजात समर्पित किया जाता है, जिसके उपरांत सभी ईच्छुक किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। किसानों को सभी प्रकार की सहायता किसान मेला लगाकर/शिविर में दिया जायेगा। किसान मेला/शिविर में उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। किसान आवश्यकतानुसार अधिकृत विक्रेता से गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद सकेंगे। योजनांतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में ईच्छुक किसान ऑन–लाईन आवेदन पत्र देंगे। ऑन–लाईन आवेदन नहीं हो पाने की स्थिति में ऑफ–लाईन भी आवेदन लिये जा सकेंगे।

4. योजना के अधीन कार्यमदों यथा– पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण, गोबर गैस इकाई को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। बीजोपचार कार्यक्रम का कार्यान्वयन सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के निगरानी में किया जायेगा।
5. गत वर्ष से स्वीकृत व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैव उर्वरक उत्पादन इकाई का अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा जिसके लिए 150 लाख रू0 व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट कार्यक्रम तथा 25 लाख रू0 व्यवसायिक जैव उर्वरक उत्पादन इकाई कार्यक्रम में प्रावधान किया गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2018–19 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई तथा गोबर गैस कार्यक्रम में अनुदान की राशि में परिवर्तन किया गया है। वर्ष 2017–18 में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर अनुदान राशि लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 4000 रू0/इकाई स्वीकृत था जिसके स्थान पर वर्ष 2018–19 में अनुदान राशि लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000 रू0/इकाई स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2017–18 में 02 घनमीटर गोबर गैस संयंत्र पर अनुदान राशि लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19000 रू0 स्वीकृत था जिसके स्थान पर वर्ष 2018–19 में अनुदान राशि 50 प्रतिशत अधिकतम 21,000 रू0 स्वीकृत किया गया है। साथ ही वर्ष 2018–19 में 03 घनमीटर गोबर गैस संयंत्र पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 25000 रू0 का स्वीकृत किया गया है। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई में अनुदान राशि में वृद्धि विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी के निर्णय के आलोक में किया गया है तथा गोबर गैस इकाई में 02 एवं 03 घनमीटर के लिए प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा निर्धारित अनुदान को अधिकतम सीमा क्रमशः 21,000 एवं 25,000 रू0 प्रति इकाई स्वीकृत किया गया है।
7. योजना एवं विकास विभाग द्वारा इस योजना हेतु सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए क्रमशः 83, 16 एवं 1 प्रतिशत के अनुसार वित्तीय उद्व्यय निर्धारित किया गया है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसी समानुपात में श्रेणीवार राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

8. योजनांतर्गत कार्यक्रमवार लक्ष्य से संबंधित विवरणी **अनुसूची–04** पर संलग्न हैं तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा कोटिवार कुल वित्तीय लक्ष्य **अनुसूची–05** पर संलग्न है।
9. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
10. योजना का कार्यान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।
11. योजनान्तर्गत लाभुकों को कृषि विभाग के द्वारा संचालित पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। किसानों को भुगतेय सभी अनुदान उनके खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। किसानों के सभी प्रकार के भुगतान आधार कार्ड लिंक बैंक एकाउन्ट में ही किया जायेगा।
12. व्यय के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत एक घटक से दूसरे घटक में लक्ष्य का अन्तरपरिवर्तन किया जा सकेगा।
14. वितीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि–लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, मांग सं0–01, उप शीर्ष –0106–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01-2401001050106 विषय शीर्ष 0106.33.01 सब्सिडी	9034.48858	1215.0121
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं0–01, उप शीर्ष –0126–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01-2401007890126 विषय शीर्ष 0126.33.01 सब्सिडी	1741.58816	234.2192
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना मांग सं0–01, उप शीर्ष–0148–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड 01-2401007960148 विषय शीर्ष 0148.33.01 सब्सिडी	108.84926	14.6387
कुल	**10884.926**	**1463.87**

15. वित्त विभाग संकल्प सं0 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 08.03.2019 की बैठक में प्राप्त है, जिसकी कार्रवाई संचिका सं0– जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 के पृ0 सं0–68/प0 पर रक्षित है। वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
16. राज्यादेश प्रारूप पर माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0– जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 के 14/टि0 पर दिनांक–09.03.2019 को प्राप्त है।

17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 के पृ0–16/टि0 पर दिनांक–09.03.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी सं0–78 दिनाक 09.03.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
9.3.19
(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1382 /कृ0, पटना दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1382 /कृ0, पटना दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1382 /कृ0, पटना दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1382 /कृ0, पटना दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1382 /कृ0, पटना दिनांक 09/03/2019

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

9.3.19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Target 15-16-SWS

अनुसूची–01

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018–19 के लिए कार्यक्रमवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय – लाख रू० में

क्रं०	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई	सं0 में	15830	791.50
2	गोबर गैस	सं0 में	76	17.10
3	व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए गत वर्ष का बकाया राशि	सं0 में	20	150.00
4	व्यवसायिक जैव उर्वरक उत्पादन इकाई के लिए गत वर्ष का बकाया राशि	सं0 में	1	25.00
5	हरी खाद अन्तर्गत ढैंचा बीज वितरण	हे0 में	30500	395.28
6	बीज टिकारकरण अभियान			
I	बीजोपचार सामग्री	हे0 में	100000	70.40
II	आकस्मिक व्यय			14.59
कुल		वित्तीय (लाख रू. में)		**1463.8700**

अनुसूची–02

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरणी

क्रं	मद का नाम	लाभुक श्रेणी	क्षमता एवं ब्योरा	अनुदान सीमा एवं दर
1	पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई	किसान एवं कृषक समूह	(10'x3'x2.5 ') = 75 cft.	लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000.00 रू0 प्रति इकाई
2	व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई	उद्यमी / सहकारी संस्था / कम्पनी / कृषक समूह / गैर सरकारी संस्था / स्वयं सहायता समूह / कृषि विज्ञान केन्द्र / पूर्ण सरकारी संस्था	1000 मे0टन (प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो / स्वयंसेवी संस्था / उद्यमी को परियोजना के कुल लागत मूल्य 16.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 6.40 लाख प्रति इकाई एवं दिनांक–05.12.2013 के पूर्व से स्वीकृत परियोजना के कुल लागत मूल्य 16.00 लाख रू0 का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 08.00 लाख रू0।
			2000 मे0टन (प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो / स्वयंसेवी संस्था / उद्यमी को परियोजना के कुल लागत मूल्य 32.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 12.80 लाख प्रति इकाई एवं दिनांक–05.12.2013 के पूर्व से स्वीकृत परियोजना के कुल लागत मूल्य 32.00 लाख रू0 का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 16.00 लाख रू0।
			3000 मे0टन (प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो / स्वयंसेवी संस्था / उद्यमी को परियोजना के कुल लागत मूल्य 50.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 20.00 लाख प्रति इकाई एवं दिनांक–05.12.2013 के पूर्व से स्वीकृत परियोजना के कुल लागत मूल्य 50.00 लाख रू0 का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 25.00 लाख रू0।
3	व्यवसायिक जैव उर्वरक	उद्यमी / सहकारी संस्था / कम्पनी / कृषक समूह / गैर सरकारी संस्था / स्वयं सहायता समूह / कृषि विज्ञान केन्द्र / पूर्ण सरकारी संस्था	600 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)	(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो / स्वयंसेवी संस्था / उद्यमी को परियोजना के कुल लागत मूल्य 160.00 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 64.00 लाख प्रति इकाई।

4	गोबर गैस	किसान एवं कृषक समूह	2 घन मीटर	लागत मूल्य 42,000 रू0 का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 21,000 रूपये।
			3 घन मीटर	लागत मूल्य 50,000 रू0 का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 25,000 रूपये।
5	हरी खाद अन्तर्गत ढ़ैंचा बीज वितरण	किसान	20 किग्रा0 / हे0 अधिकतम 1 हे0 के लिए	लागत मूल्य का 90 प्रतिशत।
6	बीजोपचार सामग्री	किसान	प्रति किसान अधिकतम 02 हे0 के लिए टाल क्षेत्र के कृषकों को अधिकतम 05 हे0 के लिए	बीज की मात्रा के अनुरूप अधिकतम 100 रूपये प्रति हे0 अनुदान देय होगा।

अनुसूची–03

हरी खाद योजना गरमा 2018 अन्तर्गत ढैंचा बीज उपलब्धता, वितरण, आच्छादन तथा व्यय संबंधी प्रतिवेदन

(मात्रा– क्वीं0 में, आच्छादन– हे0 में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	ढैंचा बीज वितरण लक्ष्य	निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये ढैंचा बीज की मात्रा	आच्छादन का लक्ष्य	वितरित मात्रा	अवशेष मात्रा	आच्छादित क्षेत्रफल	लाभांवित किसान की सं0				कुल अनुदान
								Gen.	SC	ST	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना	200	200	1000	200	0	1000	1500	375	0	1875	12.960
2	नालन्दा	200	200	1000	200	0	2120	840	170	0	188	12.960
3	भोजपुर	200	200	1000	200	0	1000	1079	221	0	1300	12.960
4	बक्सर	150	150	750	150	0	750	1074	205	0	1279	9.720
5	रोहतास	200	200	1000	200	0	1000	1432	267	9	1708	12.960
6	कैमूर	200	100	500	50	50	125				0	6.480
7	गया	200	200	1000	200	0	1000	1098	326	0	1424	12.960
8	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
9	अरवल	100	100	500	100	0	0	1051	197	12	1260	6.480
10	नवादा	400	400	2000	400	0	2000	2786	584	0	3370	25.920
11	औरंगाबाद	200	200	1000	200	0	1000				0	12.960
12	भागलपुर	200	200	1000	200	0	1000	0	0	0	0	12.960
13	बांका	200	200	1000	200	0	2120	840	170	20	1030	12.960
14	मुंगेर	200	0	0	0	0	0				0	0.000
15	जमुई	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
16	लखीसराय	150	150	750	150	0					0	9.720
17	शेखपुरा	100	100	500	25	75	0	105	0	0	105	6.480
18	सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
19	सिवान	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
20	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
21	मुजफ्फरपुर	400	400	2000	393	8	1962	4071	785	50	4906	25.920
22	वैशाली	200	200	1000	200	0	1000	1287	263	0	1550	12.960
23	सीतामढ़ी	200	200	1000	200	0	1000	1444	216	0	1660	12.960
24	शिवहर	100	100	500	100	0	500	565	109	6	680	6.480
25	पूर्वी चम्पारण	200	200	1000	200	0	1000	2075	425	0	2500	12.960
26	पश्0ि चम्पारण	200	200	1000	200	0					0	12.960
27	दरभंगा	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
28	मधुबनी	400	400	2000	400	0	2000	2764	533	33	3330	25.920
29	समस्तीपुर	200	200	1000	200	0	1000	2100	400	0	2500	12.960
30	बेगुसराय	200	200	1000	200	0	2500	2100	400	0	2500	12.960
31	सहरसा	150	150	750	150	0	750	1598	308	19	1925	9.720
32	सुपौल	200	200	1000	200	0	1000	1375	250	35	1660	12.960
33	मधेपुरा	150	150	750	150	0	750	934	180	11	1125	9.720
34	खगड़िया	200	200	1000	200	0	1000	505	205	0	710	12.960
35	पुर्णिया	200	200	1000	200	0	2500	2330	450	30	2810	12.960
36	किशनगंज	150	150	750	150	0	1875	1556	300	19	1875	9.720
37	अररिया	150	150	750	150	0	750	623	120	8	750	9.720
38	कटिहार	200	200	1000	200	0	1000	2079	372	49	2500	12.960
योग		**7000**	**6100.00**	**30500.00**	**5967.50**	**132.50**	**33702.00**	**39211**	**7831**	**301**	**46520**	**395.280**

BRBN में स्वीकृत मूल्य दर– 7200 रू0 प्रति क्वीं0, अनुदान– 90 प्रतिशत

नोट–जैविक खेती प्रोत्साहन याजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 की योजना स्वीकृति के उपरांत ढ़ैंचा बीज के अनुदान की राशि का भुगतान बिहार राज्य बीज निगम को किया जायेगा।

अनुसूची–04

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018–19 का राज्य योजना के अधीन भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई		गोबर गैस		व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए गत वर्ष का बकाया राशि		व्यवसायिक जैव उर्वरक उत्पादन इकाई के लिए गत वर्ष का बकाया राशि		हरी खाद अन्तर्गत ढैंचा बीज वितरण		कुल वित्तीय लक्ष्य (1–12)
		भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	. वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हें० में)	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कृषि निदेशक	0	0.0000	0	0.00	20	150.00	1	25.00	30500	395.28	570.2800
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	0	0.0000	0	0.0000							0.0000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा	• 0	0.0000	0	0.0000							0.0000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	400	20.0000	5	1.1250							21.1250
5	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	300	15.0000	5	1.1250							16.1250
6	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	400	20.0000	5	1.1250							21.1250
7	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ	300	15.0000	0	0.0000							15.0000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	600	30.0000	0	0.0000							30.0000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	200	10.0000	7	1.5750							11.5750
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	100	5.0000	0	0.0000							5.0000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	400	20.0000	8	1.8000							21.8000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	500	25.0000	8	1.8000							26.8000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	600	30.0000	0	0.0000							30.0000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	600	30.0000	0	0.0000							30.0000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	0	0.0000	0	0.0000							0.0000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	800	40.0000	0	0.0000							40.0000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पू० चंपारण	800	40.0000	5	1.1250							41.1250
18	जिला कृषि पदाधिकारी, पं० चंपारण	800	40.0000	8	1.8000							41.8000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	800	40.0000	4	0.9000							40.9000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	130	6.5000	0	0.0000							6.5000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	700	35.0000	0	0.0000							35.0000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	700	35.0000	0	0.0000							35.0000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	800	40.0000	8	1.8000							41.8000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	800	40.0000	0	0.0000							40.0000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	600	30.0000	0	0.0000							30.0000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	200	10.0000	0	0.0000							10.0000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	100	5.0000	0	0.0000							5.0000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	100	5.0000	0	0.0000							5.0000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	400	20.0000	0	0.0000							20.0000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	500	25.0000	0	0.0000							25.0000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका	400	20.0000	8	1.8000							21.8000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	300	15.0000	0	0.0000							15.0000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	400	20.0000	0	0.0000							20.0000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	300	15.0000	0	0.0000							15.0000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया	500	25.0000	0	0.0000							25.0000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	0	0.0000	0	0.0000							0.0000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	500	25.0000	0	0.0000							25.0000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	500	25.0000	0	0.0000							25.0000
39	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	300	15.0000	5	1.1250							16.1250
कुल		15830	791.5000	76	17.1000	20	150.00	1	25.00	30500	395.28	1378.8800

अनुसूची–04

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018–19 का राज्य योजना के अधीन भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	बीजोपचार जैव सामग्री			कुल वित्तीय लक्ष्य	योजना का सकल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	आकस्मिक व्यय		
14	15	16	17	18	19	20
40	B/F					1378.88
40	कृषि निदेशक	0	0	0	0.00000	0.00000
41	सहायक निदेशक पौ0सं0, पटना	2711	1.90900	0.39500	2.30400	2.30400
42	सहायक निदेशक पौ0सं0, नालंदा	2945	2.07300	0.43000	2.50300	2.50300
43	सहायक निदेशक पौ0सं0, भोजपुर	3487	2.45500	0.50900	2.96400	2.96400
44	सहायक निदेशक पौ0सं0, बक्सर	2503	1.76200	0.36500	2.12700	2.12700
45	सहायक निदेशक पौ0सं0, रोहतास	4476	3.15100	0.65300	3.80400	3.80400
46	सहायक निदेशक पौ0सं0, भभुआ	2609	1.83700	0.38100	2.21800	2.21800
47	सहायक निदेशक पौ0सं0, गया	1999	1.40700	0.29200	1.69900	1.69900
48	सहायक निदेशक पौ0सं0, जहानाबाद	952	0.67000	0.13900	0.80900	0.80900
49	सहायक निदेशक पौ0सं0, अरवल	679	0.47800	0.09900	0.57700	0.57700
50	सहायक निदेशक पौ0सं0, नवादा	1877	1.32100	0.27300	1.59400	1.59400
51	सहायक निदेशक पौ0सं0, औरंगाबाद	3821	2.69000	0.55700	3.24700	3.24700
52	सहायक निदेशक पौ0सं0, सारण	3281	2.31000	0.47900	2.78900	2.78900
53	सहायक निदेशक पौ0सं0, सिवान	3131	2.20400	0.45700	2.66100	2.66100
54	सहायक निदेशक पौ0सं0, गोपालगंज	2773	1.95200	0.40500	2.35700	2.35700
55	सहायक निदेशक पौ0सं0, मुजफ्फरपुर	4049	2.85000	0.59100	3.44100	3.44100
56	सहायक निदेशक पौ0सं0, पू0 चंपारण	5785	4.07300	0.84400	4.91700	4.91700
57	सहायक निदेशक पौ0सं0, पं0 चंपारण	4717	3.32100	0.68800	4.00900	4.00900
58	सहायक निदेशक पौ0सं0, सीतामढ़ी	2514	1.77000	0.36700	2.13700	2.13700
59	सहायक निदेशक पौ0सं0, शिवहर	416	0.29300	0.06100	0.35400	0.35400
60	सहायक निदेशक पौ0सं0, वैशाली	2311	1.62700	0.33700	1.96400	1.96400
61	सहायक निदेशक पौ0सं0, दरभंगा	3202	2.25400	0.46700	2.72100	2.72100
62	सहायक निदेशक पौ0सं0, मधुबनी	4286	3.01700	0.62500	3.64200	3.64200
63	सहायक निदेशक पौ0सं0, समस्तीपुर	3281	2.31000	0.47900	2.78900	2.78900
64	सहायक निदेशक पौ0सं0, बेगुसराय	2200	1.54900	0.32100	1.87000	1.87000
65	सहायक निदेशक पौ0सं0, मुंगेर	883	0.62200	0.12900	0.75100	0.75100
66	सहायक निदेशक पौ0सं0, लखीसराय	1023	0.72000	0.14900	0.86900	0.86900
67	सहायक निदेशक पौ0सं0, शेखपुरा	688	0.48400	0.10000	0.58400	0.58400
68	सहायक निदेशक पौ0सं0, जमुई	750	0.52800	0.10900	0.63700	0.63700
69	सहायक निदेशक पौ0सं0, भागलपुर	2369	1.66800	0.34600	2.01400	2.01400
70	सहायक निदेशक पौ0सं0, बाँका	2403	1.69200	0.35100	2.04300	2.04300
71	सहायक निदेशक पौ0सं0, सहरसा	2111	1.48600	0.30800	1.79400	1.79400
72	सहायक निदेशक पौ0सं0, सुपौल	2712	1.90900	0.39600	2.30500	2.30500
73	सहायक निदेशक पौ0सं0, मधेपुरा	2461	1.73300	0.35900	2.09200	2.09200
74	सहायक निदेशक पौ0सं0, पूर्णिया	3907	2.75100	0.57000	3.32100	3.32100
75	सहायक निदेशक पौ0सं0, किशनगंज	2291	1.61300	0.33400	1.94700	1.94700
76	सहायक निदेशक पौ0सं0, अररिया	3497	2.46200	0.51000	2.97200	2.97200
77	सहायक निदेशक पौ0सं0, कटिहार	3165	2.22800	0.46200	2.69000	2.69000
78	सहायक निदेशक पौ0सं0, खगड़िया	1735	1.22100	0.25300	1.47400	1.47400
कुल		100000	70.400	14.590	84.990	1463.87000

अनुसूची–05

जैविक खेती प्रात्साहन योजना 2018–19 का राज्य योजना के तहत् कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में।

क्र0 सं0	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य			
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	सामान्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	कृषि निदेशक	5.702800	91.244800	473.332400	570.280000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	0.088680	3.380000	17.656320	21.125000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	0.283590	2.580000	13.261410	16.125000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	0.194970	3.380000	17.550030	21.125000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ	0.638090	2.400000	11.961910	15.000000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	0.017720	4.800000	25.182280	30.000000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	0.017720	1.852000	9.705280	11.575000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	0.017720	0.800000	4.182280	5.000000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	0.017720	3.488000	18.294280	21.800000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	0.000000	4.288000	22.512000	26.800000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	0.159520	4.800000	25.040480	30.000000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	0.460840	4.800000	24.739160	30.000000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.017720	6.400000	33.582280	40.000000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण	0.070900	6.580000	34.474100	41.125000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, पं0 चंपारण	1.293900	6.688000	33.818100	41.800000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.017720	6.544000	34.338280	40.900000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	0.000000	1.040000	5.460000	6.500000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	0.017720	5.600000	29.382280	35.000000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	0.017720	5.600000	29.382280	35.000000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	0.017720	6.688000	35.094280	41.800000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	0.000000	6.400000	33.600000	40.000000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	0.017720	4.800000	25.182280	30.000000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	0.283590	1.600000	8.116410	10.000000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	0.141800	0.800000	4.058200	5.000000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	0.017720	0.800000	4.182280	5.000000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	0.797610	3.200000	16.002390	20.000000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	0.393490	4.000000	20.606510	25.000000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका	0.779890	3.488000	17.532110	21.800000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	0.053170	2.400000	12.546830	15.000000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	0.088620	3.200000	16.711380	20.000000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	0.106350	2.400000	12.493650	15.000000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया	0.762160	4.000000	20.237840	25.000000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	0.248150	4.000000	20.751850	25.000000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	1.045760	4.000000	19.954240	25.000000
39	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	0.000000	2.580000	13.545000	16.125000
Total		13.788800	220.620800	1144.470400	1378.880000

अनुसूची–05

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना 2018–19 का राज्य योजना के तहत् कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में।

क्र0 सं0	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य			
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	सामान्य	वित्तीय लक्ष्य
7	8	9	10	11	12
	B/F	13.788800	220.620800	1144.470400	1378.880000
40	सहायक निदेशक पौ0सं0, पटना	0.003260	0.368640	1.93210	2.304000
41	सहायक निदेशक पौ0सं0, नालंदा	0.001630	0.400480	2.10089	2.503000
42	सहायक निदेशक पौ0सं0, भोजपुर	0.008150	0.474240	2.48161	2.964000
43	सहायक निदेशक पौ0सं0, बक्सर	0.026090	0.340320	1.76059	2.127000
44	सहायक निदेशक पौ0सं0, रोहतास	0.017940	0.608640	3.17742	3,804000
45	सहायक निदेशक पौ0सं0, भभुआ	0.058700	0.354880	1.80442	2.218000
46	सहायक निदेशक पौ0सं0, गया	0.001630	0.271840	1.42553	1.699000
47	सहायक निदेशक पौ0सं0, जहानाबाद	0.001630	0.129440	0.67793	0.809000
48	सहायक निदेशक पौ0सं0, अरवल	0.001630	0.092320	0.48305	0.577000
49	सहायक निदेशक पौ0सं0, नवादा	0.001630	0.255040	1.33733	1.594000
50	सहायक निदेशक पौ0सं0, औरंगाबाद	0.000000	0.519520	2.72748	3.247000
51	सहायक निदेशक पौ0सं0, सारण	0.014680	0.446240	2.32808	2.789000
52	सहायक निदेशक पौ0सं0, सिवान	0.042400	0.425760	2.19284	2.661000
53	सहायक निदेशक पौ0सं0, गोपालगंज	0.039140	0.377120	1.94074	2.357000
54	सहायक निदेशक पौ0सं0, मुजफ्फरपुर	0.001630	0.550560	2.88881	3.441000
55	सहायक निदेशक पौ0सं0, पू0 चंपारण	0.006520	0.786720	4.12376	4.917000
56	सहायक निदेशक पौ0सं0, पं0 चंपारण	0.119040	0.641440	3.24852	4.009000
57	सहायक निदेशक पौ0सं0, सीतामढ़ी	0.001630	0.341920	1.79345	2.137000
58	सहायक निदेशक पौ0सं0, शिवहर	0.000000	0.056640	0.29736	0.354000
59	सहायक निदेशक पौ0सं0, वैशाली	0.001630	0.314240	1.64813	1.964000
60	सहायक निदेशक पौ0सं0, दरभंगा	0.001630	0.435360	2.28401	2.721000
61	सहायक निदेशक पौ0सं0, मधुबनी	0.001630	0.582720	3.05765	3.642000
62	सहायक निदेशक पौ0सं0, समस्तीपुर	0.000000	0.446240	2.34276	2.789000
63	सहायक निदेशक पौ0सं0, बेगुसराय	0.001630	0.299200	1.56917	1.870000
64	सहायक निदेशक पौ0सं0, मुंगेर	0.026090	0.120160	0.60475	0.751000
65	सहायक निदेशक पौ0सं0, लखीसराय	0.013050	0.139040	0.71691	0.869000
66	सहायक निदेशक पौ0सं0, शेखपुरा	0.001630	0.093440	0.48893	0.584000
67	सहायक निदेशक पौ0सं0, जमुई	0.073380	0.101920	0.46170	0.637000
68	सहायक निदेशक पौ0सं0, भागलपुर	0.036200	0.322240	1.65556	2.014000
69	सहायक निदेशक पौ0सं0, बॉका	0.071750	0.326880	1.64437	2.043000
70	सहायक निदेशक पौ0सं0, सहरसा	0.004890	0.287040	1.50207	1.794000
71	सहायक निदेशक पौ0सं0, सुपौल	0.008150	0.368800	1.92805	2.305000
72	सहायक निदेशक पौ0सं0, मधेपुरा	0.009780	0.334720	1.74750	2.092000
73	सहायक निदेशक पौ0सं0, पूर्णिया	0.070120	0.531360	2.71952	3.321000
74	सहायक निदेशक पौ0सं0, किशनगंज	0.061970	0.311520	1.57351	1.947000
75	सहायक निदेशक पौ0सं0, अररिया	0.022830	0.475520	2.47365	2.972000
76	सहायक निदेशक पौ0सं0, कटिहार	0.096210	0.430400	2.16339	2.690000
77	सहायक निदेशक पौ0सं0, खगड़िया	0.000000	0.235840	1.23816	1.474000
	कुल	14.638700	234.219200	1215.012100	1463.870000